निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधीन प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित सूचना

मैनुअल–1

23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून

संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य

<u>**निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून**</u>

कार्यालय तक पहुंचने के लिए निम्न गूगल मैप्स के लिंक का उपयोग किया जा सकता है-

https://maps.app.goo.gl/F5Jx3xix7cNWtNYb6

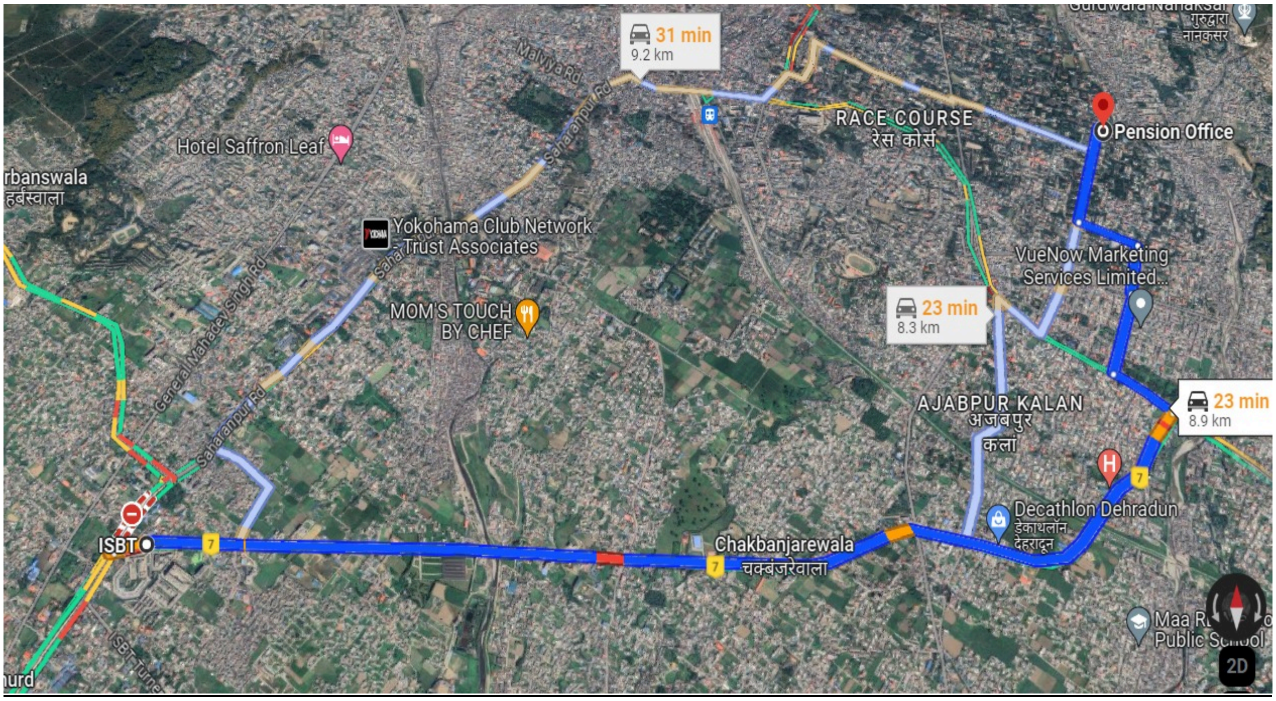

संगठन प्रमुख: श्री दिनेश चन्द्र लोहनी, निदेशक

निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड का पुर्नगठन शासनादेश संख्या- 73/XXVII(6)/2015, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के द्वारा किया गया है। इस निदेशालय के अधीन राज्य के कोषागारों, पेंशन प्राधिकार पत्र तैयार किए जाने, एनपीएस प्रकरण, वित्तीय डाटा सेंटर का संचालन एवं हकदारी संबंधित कार्यो एवं दायित्वों को अलग-अलग प्रभाग के रूप में रखा गया है।

स्वतन्त्रता के बाद उत्तराखण्ड अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश का अंग था। प्रारम्भ में कोषागार राजस्व विभाग का हिस्सा रहा है। और यह व्यवस्था वर्ष 1965 तक चलती रही जिसमें किसी वरिष्ठ डिप्टी कलेक्टर को कुछ अतिरिक्त वेतन देकर कोषाधिकारी का कार्य एवं दायित्व सौपा जाता था। पहली बार सन् 1965 में यह महसूस किया गया कि राजस्व विभाग का कार्य अत्यधिक विस्तारित होने के कारण कोषागार कार्य प्रणाली में समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी तारतम्य को मध्य नजर रखते हुये वर्ष 1965 में कोषागार निदेशालय उ0प्र0 की स्थापना कर उसे वित्त विभाग के अन्तर्गत लाया गया, जिसके कुशल वित्तीय कार्य संचालन हेतु वित्तीय संवैधानिक व्यवस्था को सम्पूर्ण प्रदेश में निदेशालय कोषागार उ0प्र0 के माध्यम से एक मूर्तरूप दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि सुदृढ वित्तीय व्यवस्था के बिना कोई भी राज्य अथवा राष्ट् समृधशाली नहीं बन सकता। इसलिए वित्तीय व्यवस्था का महत्व अधिक प्रासंगिक है, यही कारण है कि प्रत्येक राज्य में वित्तीय प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सेवा का गठन किया गया। वर्तमान में इस सेवा के अधिकारी जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों (परिषदों) प्राधिकरणों (निगमों) विश्वविद्यालयों में वित्त नियंत्रक, वित्तीय अधिकारी, वित्तीय सलाहकार, संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक तथा निदेशक के पदों पर कार्यरत है।

शासनादेश संख्या- 73/XXVII(6)/2015, दिनांक 23 फरवरी 2015 से निदेशालय के संगठनात्मक ढांचे को संशोधित किया गया है, जिसमें कोषागार एवं उप कोषागार सम्बन्धी अधिष्ठान एवं बजट नियंत्रण, डाटा सेन्टर, पेंशन प्राधिकार पत्रों तथा नवीन पेंशन योजना का प्रबंधन, वेतन पर्ची जारी किये जाने सम्बन्धी कार्य आदि हेतु कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके अन्तर्गत निदेशक को विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रक अधिकारी घोषित कर निम्न पदों की स्थापना की गयी।

1.	निदेशक	01
2.	अपर निदेशक	03
3.	उप निदेशक	01
4.	सहायक निदेशक	01
5.	वित्त अधिकारी	01
6.	उपकोषाधिकारी	03
7.	सीनियर सॉफटवेयर इंजीनियर	01
8.	मुख्य प्रोग्रामर	03
9.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01
10.	वरिष्ठ प्रशसनिक अधिकारी	01
11.	सहायक लेखाधिकारी	02
12.	सहायक कोषाधिकारी	06
13.	प्रोग्रामर	12
14.	सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	01

15. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर 01
16. प्रशासनिक अधिकारी 01
17. वैयक्तिक अधिकारी 01
18. लेखाकार 11
19. प्रधान सहायक 02
20. वरिष्ठ डाटा एंट्री ऑपरेटर 01
21. वरिष्ठ सहायक 04
22. सहायक लेखाकार 19
23. वैयक्तिक सहायक 05
24. कनिष्ठ सहायक 04
25. डाटा एंट्री ऑपरेटर 03
26. डाटा एंट्री ऑपरेटर/लिपिक 04
27. वाहन चालक 05
28. अनुसेवक 12

कोषागार प्रभाग-

राज्य सरकार के लगभग समस्त भुगतान एवं प्राप्तियां विभिन्न जनपदों में स्थापित कोषागारों एवं उपकोषागारों के माध्यम से होते हैं, साथ ही कतिपय स्टाम्पों यथा, अधिवक्ता कल्याणकारी एवं नोटरी स्टाम्प की आपूर्ति एवं वितरण का दायित्व भी कोषागारों को दिया गया है। प्रदेश के समस्त कोषागारों एवं उपकोषागारों पर नियंत्रण एवं मार्गदर्शन का दायित्व निदेशालय का है। सामान्यता प्रत्येक जनपद में एक जिला कोषागार तथा कुछ अधीनस्थ उपकोषागार होते है। कुछ जनपदों में एक से अधिक कोषागार भी है। सभी कोषागारों का नगद लेन देन का कार्य भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिजर्ब बैंक के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है तथा इसी कारण से इन्हें बैंकिंग कोषागार कहा जाता है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में निम्नलिखित विवरण के अनुसार 13 जनपदीय कोषागार, 06 स्वतंत्र कोषागार, 70 उपकोषागार है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय एवं देहरादून में एक साईबर कोषागार तथा हल्द्वानी में निदेशालय, कोषागार का कैम्प कार्यालय स्थापित हैं।

<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>कोषागार</th><th colspan="6">अधीनस्थ कोषागार/उपकोषागार</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td colspan="6">3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>जिला कोषागार देहरादून</td><td colspan="2">1- मसूरी
2- ऋषिकेश</td><td colspan="2">3- विकासनगर
4- चकराता</td><td colspan="2">5- त्यूनी</td></tr>
<tr><td>2</td><td>जिला कोषागार रूद्रप्रयाग</td><td colspan="2">1- अगस्तयमुनी</td><td colspan="2">2- ऊखीमठ</td><td colspan="2">3- जखोली</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जिला कोषागार टिहरी</td><td>नरेंद्रनगर स्वतंत्र कोषागार</td><td>1-देवप्रयाग</td><td>2- थत्यूड</td><td>3 घनसाली</td><td>4 प्रतापनगर</td><td>5 नैनबाग</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जिला कोषागार पौडी</td><td>लैंसडाउन स्वतंत्र कोषागार</td><td>कोटद्वार स्वतंत्र कोषागार</td><td>1 धूमाकोट</td><td>2 सतपुली</td><td>3 श्रीनगर</td><td>4 थलीसैंण</td></tr>
</table>

5	जिला कोषागार हरिद्वार	रूडकी स्वतंत्र कोषागार	1- लक्सर	2- हरिद्वार उपकोषागार	
6	चमोली जिला कोषागार, गोपेश्वर	1- जोशीमठ 2- चमोली उपकोषागार 3- पोखरी	4- गैरसैंण 5- घाट 6- देवाल	7-नारायणबगड 8 कर्णप्रयाग 9 थराली	
7	जिला कोषागार उत्तरकाशी	1- भटवाडी	2- डुण्डा	3 पुरोला	4 बडकोट
8	जिला कोषागार नैनीताल	हल्द्वानी स्वतंत्र कोषागार	1- बेतालघाट 2- कोश्याकुटौली	3- रामनगर 4 कालाढूगी	5 धारी
9	जिला कोषागार अल्मोडा	रानीखेत स्वतंत्र कोषागार	1- द्वाराहाट 2- चौखुटिया 3- मौलेखाल	4- लमगडा 5- ताकुला 6- दन्या	7- देघाट 8 सोमेश्वर 9 भिकियासैंण
10	जिला कोषागार पिथौरागढ	1- धारचूला 2- गंगोलीहाट 3- थल	4- मुनस्यारी 5- असकोट 6- देवलथल	7- गनाईगंगोली 8 बेरीनाग 9 डीडीहाट 10 नाचनी		
11	जिला कोषागार बागेश्वर	1- कपकोट 2- गरूड	3- काण्डा 4- दुगनाकुरी			
12	जिला कोषागार चम्पावत	1- लोहाघाट	2- पाटी	3- टनकपुर		
13	जिला कोषागार उधमसिंह नगर	1- जसपुर 2- काशीपुर 3- बाजपुर	4- गदरपुर 5- किच्छा 6- सितारगंज	7- खटीमा		
14	उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली					
15	साईबर ट्रेजरी, देहरादून					
16	हल्द्वानी शिविर कार्यालय					

सभी कोषागारों एवं उपकोषागारों का कार्य उत्तरांचल कोषागार नियमावली, 2003 के अनुसार संचालित होता है। शासन द्वारा विविध अर्थोपायों द्वारा जो संसधान जुटाये जाते हैं। उनका प्रशासन व विकास कार्यो में बजट आवंटनों के अनुरूप समुचित सदुपयोग हो सके तथा प्राप्तियों एवं व्ययों की सही-सही स्थिति समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु हर समय सही रूप में उपलब्ध हो सके के लिये प्रदेश की वित्तीय प्रबन्धन में इन कार्यो हेतु कोषागारों की भूमिका मुख्य है। प्रत्येक सरकारी

भुगतान, अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से, कोषागारों से नियंत्रित होता है। अतः भुगतानों में समयबद्धता एवं शीघ्रता कोषागार के कार्यो के सम्पादन की महत्वपूर्ण कसौटी एवं उत्तरदायित्व है, जिसमें साथ-साथ गलत या कपटपूर्ण भुगतान रोकने का दायित्व भी सम्मिलित है।

उपरोक्त उत्तरदायित्वों के क्रम में कोषागारों को वर्ष 1986-87 से चरणबद्ध रूप से कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा वर्ष 1988 तक सभी कोषागार कम्प्यूटराइज्ड किये गये। दिनांक 01-08-1998 से "सिंगल विन्डों सिस्टम" से आन लाइन बिल पारण एवं चेक निर्गमन प्रणाली लागू हुयी जिससे कोषागारों में बिल पारण, चेक निर्गत होना तथा लेखा बनाना उसी समय साथ-साथ होने लगा। उत्तराखण्ड राज्य में समस्त जनपद कोषागार/उपकोषागार पूर्णतः कम्प्यूटराईज्ड हैं। वर्तमान में शासनादेश संख्या 03/XXVII(6)/2013, दिनांक, 02 जनवरी 2013 से कोषागारों में ई-भुगतान प्रणाली लागू है, जिसके अंतर्गत देयकों को तैयार करने, उन्हें पारित करने तथा भुगतान का समस्त कार्य पूर्ण रूप से ऑनलाईन एवं पेपरलेस किया गया है। साथ ही राजकीय प्राप्तियों हेतु शासनादेश संख्या 04/XXVII(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 द्वारा ई-चालान प्रणाली लागू की गयी है, जो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है।

कोषागारों में वार्षिक बजट सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से राज्य डेटा सेंटर पर ऑनलाईन रखा जाता है। बजट नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अपने-अपने कार्यालयों को ऑनलाईन बजट आंवटित किया जाता है। बजट की एक प्रति ऑनलाईन माध्यम से कोषागार को भेजी जाती है। कोषागार में इसे सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के कोड में कम्प्यूटर पर ऑनलाईन फीड किया जाता है। कोषागार स्तर पर बजट नियंत्रण, कैश फलो, वित्तीय अभिलेखों पर नियंत्रण, लेखों का मिलान, प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली के तहत लेखा तैयार करना, निर्णय हेतु शत प्रतिशत शुद्ध आंकडे इत्यादि प्राप्त करने का कार्य संपादित किया जाता है। वित्तीय आंकडों की शुधता एवं सुरक्षा हेतु राज्य स्तर पर डेटा सेंटर के माध्यम से समस्त डेटा का रखरखाव एवं प्रबंधन किया जाता है। देश के सभी राज्यों में प्रारम्भ से ही सरकारी सेवकों के वेतन इत्यादि एवं सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनरों को पेंशन भुगतान के लिये समुचित बजट का आंकलन, व्यवस्था एवं इसके नियंत्रण की समस्या रही है। उत्तराखण्ड राज्य ने इस दिशा में क्रान्तिकारी, कदम बढाते हुए इसके लिये एक विशेष कम्प्यूटर पैकेज आई0एफ0एम0एस0 चरणबद्ध रूप से विकसित किया है एवं इसके प्रयोग हेतु एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली लागू की गयी है। शासन स्तर पर तथा निदेशालय कोषागार के स्तर पर अनेकों बैठकों के बाद, शासन द्वारा राज्य गठन के 01 वर्ष से भी कम समय में प्रणाली हेतु आवश्यक साफटवेयर एवं कम्प्यूटर उपकरणों के क्रय की व्यवस्था पूर्ण करते हुए शासनादेश संख्या 235/21/वि0अनु0-1/2001, दिनांक 06 दिसम्बर, 2001 निर्गत किया गया और निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें को सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान एवं प्रभावी लेखा प्रणाली हेतु कोषागारों में एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली प्रथम चरण में कोषागा देहरादून में 01 जनवरी, 2002 से तथा अन्य सभी कोषागारों में 01 अप्रैल, 2002 से लागू करने का दायित्व सौपा गया। शासन के इस निर्देश का अनुपालन निदेशक के द्वारा समयबद्धता से किया गया और इस शासनादेश में निहित प्रर्किया के तहत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों का भुगतान बैंक के माध्यम से उनके एकल खाते में प्रत्येक दशा में अगले माह की पहली तारीख तक किया जाना सुनिशिचत किया गया। वर्तमान में कोषागारों में पूर्णत ऑनलाईन आईएफएमएस प्रणाली लागू होने के कारण भुगतान संबंधी कार्य अधिक सुगम एवं त्वरित हो गए हैं।

कोषागार एवं निदेशालय की सम्पूर्ण क्रियाकलाप कम्प्यूटर आधारित हो जाने से कम्प्यूटर उपकरणों की शतप्रतिशत क्रियाशीलता के लिये राज्य स्तर पर सम्बन्धित फर्मो से अनुबन्ध करके इनके अनुरक्षण एवं क्रियाशील बनाये रखने हेतु वार्षिक अनुबन्ध करने का महत्वपूर्ण दायित्व भी निदेशालय का है। वर्तमान में निदेशालय में स्थित वित्तीय

डाटा सेंटर में स्थापित सर्वर एवं कुछ अन्य हॉर्डवेयर को परिवर्तित किया गया है, जिससे ऑनलाइन पोर्टल के संचालन में उल्लेखनीय सुधार आया है। भविष्य में वित्तीय डेटा सेंटर से आईएफएमएस के पैकेज को समय की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित एवं सुगम बनाए जाने हेतु डेटा सेंटर में डेवलेपमेंट का कार्य पूर्व की भांति किया जाएगा। डेटा सेंटर में डेटा के स्टोरेज का कार्य भी किया जाएगा।

मुख्यालय स्तर पर कोषागार प्रभाग द्वारा किये जा रहे अन्य कार्य निम्नवत् हैं:-

1- निदेशालय कोषागार अधिष्ठान के मुख्यालय के समस्त अधिष्ठान का कार्य व नई दिल्ली स्थिति भुगतान एवं लेखा कार्यालय के नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में समस्त कार्य।

2- प्रदेश के कोषागारों में तैनात सहायक कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, वित्त सेवा संवर्ग के श्रेणी "ख" के अधिकारियों के समस्त अधिष्ठान का कार्य, वित्त सेवा संवर्ग के श्रेणी "क" के अधिकारियों के अवकाश एवं जी0पी0एफ0 स्वीकृति का कार्य, एवं पदोन्नति हेतु तथा अन्य सेवा सम्बन्धित प्रकरणों में समीक्षाधिकारी के रूप प्रस्ताव एवं टिप्पणी शासन को प्रस्तुत करना।

3- प्रदेश के समस्त कोषागारों, निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी व नई दिल्ली स्थित भुगतान एवं लेखा कार्यालय को बजट आवंटन एवं नियंत्रण।

4- कोषागार स्तर से विभिन्न विभागों को एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के अधीन वेतन समय पर भुगतान कराना तथा अन्य समस्त सरकारी भुगतान एवं पेंशन का भुगतान कराना और इसके लेखा का रख-रखाव का पर्यवेक्षण।

5- महालेखाकार को प्रतिमाह लेखा प्रेषण का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, रक्षा लेखा का रख-रखाव एवं रक्षा पेंशनरों को भुगतान की गयी पेंशन की धनराशि को भारत सरकार से प्रतिमाह प्रतिपूर्ति कराना।

6- स्टाम्पों की आपूर्ति एवं वितरण पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, रिजर्ब बैंक को भेजे जाने वाले मासिक लेखा सूचना, नान बैंकिंग उपकोषागारों में करेंन्सी चेस्ट का रख-रखाव का कार्य।

7- पेंशनरों की शिकायतों का निराकरण का कार्य।

8- गबन एवं कपटपूर्ण भुगतान पर नियंत्रण रखना एवं पर्यवेक्षण का कार्य।

9- कोषागारों/उपकोषागारों का निरीक्षण, महालेखाकार के आडिट प्रस्तरों का निस्तारण।

10- कोषागारों एवं उपकोषागारों के भवन, किराये की स्वीकृति शासन से प्रदान कराना आदि।

11- प्रदेश के समस्त कोषागार, भुगतान एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली तथा उपकोषागारों, जिन्हें स्वतंत्र कोषागार के रूप में परिवर्तित किया गया है, में शतप्रतिशत रूप से कम्प्यूटर आधारित कार्य होने के कारण कम्प्यूटर स्थापना, इनका वार्षिक रख-रखाव एवं शतप्रतिशत रूप से कार्यशील रखने हेतु दैनिक रूप से पर्यवेक्षण का कार्य।

पेंशन अनुभाग-

राजकीय कार्मिकों एवं कतिपय निगमों के ऑनलाईन पेंशन प्राधिकार पत्र निगत किए जाने हेतु शासनादेश संख्या 91/XXVII(6)/2014 दिनांक 17 अप्रैल, 2015 के माध्यम से ई-पेंशन की प्रक्रिया समस्त राज्य में लागू की गई है। ई-पेंशन की प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य सरकार के समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के समस्त सरकारी सेवकों (यूपीसीएल, यूजविनिल, पिटकुल एवं परिवहन के कार्मिकों को छोड़कर) के पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने का कार्य/दायित्व राज्य के 13 जनपदीय कोषागारों द्वारा किया जाता है। प्रदेश के गढ़वाल मण्डल परिक्षेत्र के श्रेणी 'क', 'ख' एवं यूपीसीएल, यूजविनिल, पिटकुल एवं परिवहन के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन प्राधिकार पत्र निदेशाालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून से तथा कुमाऊ मण्डल परिक्षेत्र से श्रेणी 'क' एवं 'ख' के समस्त सेवानिवृत्त/मृत्यु के फलस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राधिकार पत्र निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के शिविर कार्यालय हल्द्वानी के माध्यम से निर्गत किये जाते हैं।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/यू0पी0एस0-

वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की निधियों का संचालन प्रोटियन (एन0एस0डी0एल0) द्वारा किया जा रहा है। प्रोटियन द्वारा सरकारी सेवकों की एनपीएस कटौतियों तथा सरकार के अनुदानों की निधि का प्रबंधन किया जाता है। सरकारी सेवकों की सेवारत मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन हेतु पुरानी पेंशन प्रणाली ही वर्तमान में लागू है। राजकीय कार्मिकों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से सम्बन्धित प्रकरण मुख्यत: सेवानिवृत्ति पर निधि से निकासी, निधि से अग्रिम आहरण, एवं कतिपय मामलों में निधि में रखी धनराशि को जी0पी0एफ0 में स्थानान्तरित किये जाने से सम्बन्धित कार्य किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा नवीनतम यूनिफाईड पेंशन स्कीम (यू0पी0एस0) को केंद्र सरकार के समान अंगीकृत किया गया है, जिससे संबन्धित कार्य भी निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।

सामूहिक बीमा योजना-

निदेशालय द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सामूहिक बीमा प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

हकदारी-

निदेशालय कोषागार द्वारा वित्त सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा तथा न्यायिक सेवा के अधिकारियों की वेतन पर्ची आदि निर्गत की जाती है। उक्त सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण, पदोन्नति आदि की स्थिति में वेतन के विवरण का पत्र निदेशालय द्वारा सम्बंधित अधिकारियों एवं आहरण वितरण अधिकारी तथा संबंधित कोषागार को प्रेषित किया जाता है।

राज्य वित्तीय डेटा सेंटर-

शासनादेश संख्या आई0एफ0/प्राविधिक-3-73-1301, दिनांक 30 अप्रैल, 1973 द्वारा वित्तीय साख्यंकीय निदेशालय की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्य के लिये हुयी थी:-

1- कोषागारों के लेखा कार्य के भार को वित्तीय डेटा सेंटर पर केन्द्रीय यन्त्रीकरण द्वारा कम करना।

2- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा, महालेखाकार उत्तर प्रदेश और वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

द्वारा कोषागारों के लेखों पर जारी किये गये निर्देशों और कार्यविधि संबंधी आदेशों पर कोषागारों को अघावधिक मार्ग दर्शन करके कोषागारों के लेखों के सुधार कराना और दुर्वर्गीकरण को कम करना,

3- कोषाधिकारियों और कोषागारों के स्टाफ को भारत सरकार के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक की लेखाशीर्षकों के योजना से भली भॉति परिचित कराना और उनके अनुपालन के लिये प्रेरित करना,

4- कोषागारों और चेक जारी करने वाले विभागों से वास्तविक प्राप्ति व व्यय के आंकडे प्राप्त करके शासन को उपलब्ध कराना ताकि वित्त विभाग द्वारा बेहतर व्यय नियंत्रण और उपलब्ध धनराशि का बेहतर प्रयोग किया जा सके,

5- कम्प्यूटर द्वारा बजट अनुमानों के मौलिक आंकडे तैयार करना और

6- अन्य विभागों, जेसे शिक्षा, पुलिस, परिवहन आदि के आधार सामग्री विधायन करना।

राज्य के समस्त विभागों में मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर बजट साहित्य के अनुरूप उनके द्वारा किये गये आहरण जो विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं मानव संसाधन एवं विकास के लिये किये गये हों, का लेखा कोषागारों से प्रतिमाह प्राप्त करके उसको आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के आउटपुट के रूप में तैयार करके शासन स्तर पर तथा महालेखाकार के स्तर पर तथा समय-समय पर माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर पर की जाने वाली समीक्षा बैठकों में उपयोग हेतु वैज्ञानिक ढंग से तैयार करके राज्य डेटा सेंटर द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इससे राज्य की वित्तीय समीक्षा एवं आवश्यकतानुरूप संसाधनों का उपयोग प्रभावशाली ढंग से कराने एवं व्यय के नियंत्रण में नजदीकी दृष्टि से नियंत्रण में सहायता होती है। वित्तीय डेटा सेंटर द्वारा संचालित अन्य कार्य निम्नवत हैं-

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत विकसित एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से राज्य सरकार के सभी वित्तीय कार्यों को एकीकृत और स्वचालित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के उपयोग से उपयोगकर्ताओं को “एण्ड टू एण्ड लेनदेन” का अनुभव प्राप्त हो रहा है।
- वित्तीय डेटा सेंटर मे स्थापित सर्वर तथा अन्य उपकरणों का रख-रखाव।
- आई.एफ़.एम.एस. सॉफ्टवेयर के डेटाबेस की सुरक्षा एवं रख-रखाव।
- राज्य के कोषागारों को उपलब्ध करायी गयी कनेक्टविटी की निगरानी।

<u>संगठन के अधीन कार्यालयों/प्रभागों का चार्ट</u>

निदेशाालय कोषागार, पैंशन एवं हकदारी

कार्यालयाध्यक्ष के रूप में सीधे नियंत्रणाधीन	विभागाध्यक्ष के रूप में नियंत्रणाधीन
पैंशन अनुभाग	शिविर कार्यालय हल्द्वानी
राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली अनुभाग	साइबर कोषागार देहरादून
वित्तीय डेटा सेंटर	उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली
सामूहिक बीमा	जनपदीय कोषागार
हकदारी	स्वतंत्र कोषागार तथा उपकोषागार